न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 026/2021(रसद) (GCMS 2021/518)	दायर दिनांक 22.12.2021	निर्णय दिनांक 08.08.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

भैरूलाल जाट पिता नाथूलाल जाट निवासी तितरडा पोस्ट नंगावली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — प्रार्थी
पूरण मेनारिया (अनुपस्थित) — विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD आर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया की दिनांक 29.08.2021 को समय 11.15 एएम पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदक हितेश जोशी हमराज मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी के साथ समय 12.15 एएम पर एनएच 76 पर स्थित दीप पैलेस होटल के पास बेनाम होटल के पीछे पेट्रोलियम पदार्थ का बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। मोहनीश राजावत द्वारा 75 रूपये प्रति लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय एवं भण्डारण की पुष्टि होने पर उक्त सूचना से जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया। उसके पश्चात् थाना मंगलवाड पहुच कर पुलिस जाप्ता गोकुल लाल उ.नि. व प्रदीप कुमार एचसी नंबर 917 मय वाहन सरकारी चालक कानि. रामू लाल नंबर 1536 के साथ थाने से रवाना हो पुनः होटल दीप पैलेस के पास बेनाम बने होटल पर 03.50 पीएम पर पहुँचें। मौके पर उपखण्ड अधिकारी डूंगला को घटना से अवगत कराया गया। उपखण्ड अधिकारी डूंगला से सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार डूंगला पन्नालाल रेगर मौके पर पहुँचें। मौके पर जांच दल द्वारा परिसर का निरीक्षण करने पर बिना नाम के ढाबे/होटल जो दीप पैलेस तितरडा रोड रोड जी का खेडा पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक व्यक्ति जो पेट्रोलियम का व्यापार कर रहा था जो पुलिस की गाडी देखकर भाग गया। आस–पास पूछताछ करने पर किसी ने पहचान नहीं की। ढाबों के पीछे बने कमरे की तलाशी लेने पर कमरे में 27 ड्रम पाये गये। उक्त ड्रमों का गेज से मापन करने पर 25 ड्रमों में कुल 5000 लीटर (पांच हजार लीटर) पेट्रोलियम होना पाया गया व 2 ड्रम खाली होना पाया गया। मौके पर 10–10 लीटर के दो लोहे के मापक, एक मोटर एसआर नंबर 6510402500७ एचपी 0.75 की मोटर 2 लोहे के 10 लीटर के मापक को कब्जे में लिया गया। उक्त अभिग्रहित 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक को मंगलवाड थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर सभी 25 ड्रमों से समान पेट्रोलियम पदार्थ निकाल कर फर्द नमूना तैयार कर तीनों नमूने ए–1, ए–2, ए–3 लिये गये। नमूना ए–1 में 750 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ भरकर प्लास्टिक सील नंबर 6881362 से एल्यूमिनियम तथा 6831374 से वुडन बॉक्स सील किया गया। ए–2 को सील नंबर 6881318 से एल्यूमिनियम तथा वुडन बॉक्स सील नंबर 6881310 से सील किया गया तथा ए–3 को क्रमशः 6881366 से सील किया गया। मौके पर नमूना ए–1 वास्ते जांच मंगलवाड थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका अभिग्रहण मय सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया गया तथा गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण में दोषियों द्वारा एमएस एण्ड एचएसडी ऑर्डर 2005 की धारा 3, 4 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा3/7 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 18.05.2022 को विपक्षी की और से अधिवक्ता पूरण मेनारिया ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता विपक्षी पूर्व पेशी दिनांक 04.07.2023 को हाजिर नहीं रहे। दिनांक 08.08.2023 को अधिवक्ता विपक्षी हाजिर नहीं रहे। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं रहे। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत की अधिवक्ता विपक्षी अदालत मजाज हाजिर नहीं आये। इस पर विपक्षी की अनुपस्थिति रिकार्ड की जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि 29.08.2021 को समय 11.15 एएम पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदक हितेश जोशी हमराज मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी के साथ समय 12.15 एएम पर एनएच 76 पर स्थित दीप पैलेस होटल के पास बेनाम होटल के पीछे पेट्रोलियम पदार्थ का बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। मोहनीश राजावत द्वारा 75 रूपये प्रति लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय एवं भण्डारण की पुष्टि होने पर उक्त सूचना से जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया। उसके पश्चात् थाना मंगलवाड पहुच कर पुलिस जाप्ता गोकुल लाल उ.नि. व प्रदीप कुमार एचसी नंबर 917 मय वाहन सरकारी चालक कानि. रामू लाल नंबर 1536 के साथ थाने से रवाना हो पुनः होटल दीप पैलेस के पास बेनाम बने होटल पर 03.50 पीएम पर पहुॅचें। मौके पर उपखण्ड अधिकारी डूंगला को घटना से अवगत कराया गया। उपखण्ड अधिकारी डूंगला से सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार डूंगला पन्नालाल रेगर मौके पर पहुॅचें। मौके पर जांच दल द्वारा परिसर का निरीक्षण करने पर बिना नाम के ढाबे/होटल जो दीप पैलेस तितरडा रोड रोड जी का खेडा पर एक व्यक्ति जो पेट्रोलियम का व्यापार कर रहा था जो पुलिस की गाडी देखकर भाग गया। आस–पास पूछताछ करने पर किसी ने पहचान नहीं की। ढाबों के पीछे बने कमरे की तलाशी लेने पर कमरे में 27 ड्रम पाये गये। उक्त ड्रमों का गेज से मापन करने पर 25 ड्रमों में कुल 5000 लीटर (पांच हजार लीटर) पेट्रोलियम होना पाया गया व 2 ड्रम खाली होना पाया गया। मौके पर 10–10 लीटर के दो लोहे के मापक, एक मोटर एसआर नंबर 65104025007 एचपी 0.75 की मोटर 2 लोहे के 10 लीटर के मापक को कब्जे में लिया गया। उक्त अभिग्रहित 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक को मंगलवाड थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर सभी 25 ड्रमों से समान पेट्रोलियम पदार्थ निकाल कर फर्द नमूना तैयार कर तीनों नमूने ए–1, ए–2, ए–3 लिये गये। नमूना ए–1 में 750 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ भरकर प्लास्टिक सील नंबर 6881362 से एल्यूमिनियम तथा 6831374 से वुडन बॉक्स सील किया गया। ए–2 को सील नंबर 6881318 से एल्यूमिनियम तथा वुडन बॉक्स सील नंबर 6881310 से सील किया गया तथा ए–3 को क्रमशः 6881366 से सील किया गया। मौके पर नमूना ए–1 वास्ते जांच मंगलवाड थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका अभिग्रहण मय सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया गया तथा गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गयें। प्रकरण में दोषियों द्वारा एमएस एण्ड एचएसडी ऑर्डर 2005 की धारा 3, 4 का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा3/7 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौका मुआयना करने पर मौके से जब्तशुदा 27 ड्रम जिनमें 25 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया तथा शेष 2 रिक्त ड्रम पाये गये। इनके अलावा 1 मोटर 2 लोहे के मापक जार/कीट 10 लीटर क्षमता अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ, के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो पेट्रोलियम उत्पाद आदेश (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) 1999 एवं एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 29.08.2021 को जब्तशुदा 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना मंगलवाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 123/2021 दिनांक 29.08.2021 में दिनांक 29.08.2021 को एनएच 76 पर स्थित दीप पैलेस होटल के पास बेनाम होटल से जब्त शुदा 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 25 ड्रम 2 खाली ड्रम 1 मोटर (0.75 एचपी) 2 लोहे के 10 लीटर मापक को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना मंगलवाड को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official